DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 28 दिसंबर 2023

JNU प्रफेसर्स को लगाई थी 11 करोड़ की चपत

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

डीडीए लैंड पॉलिसी के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट का झांसा देकर जेएनयू और आईआईटी के प्रफेसर्स को 11 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया गया। पीड़ितों ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में शिकायत दी। शुरुआती जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपी गुड़गांव निवासी पीडी गायकवाड (63) को इसी महीने अरेस्ट किया गया। आरोपी ने अपनी सोसायटी की बाकायदा वेबसाइट बनाई हुई थी। सरकारी कर्मचारी होने की वजह से मेंबर इस पर भरोसा कर रहे थे।

हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर गड़बड़झाला करने वाला यूनिवर्सिटी का कर्मचारी अरेस्ट

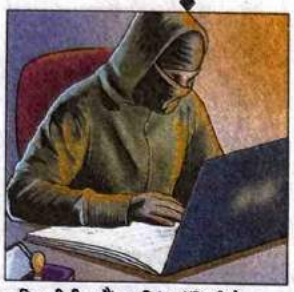

डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि पीडी गायकवाड जेएनयू के स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट में साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पर काम करता था। इसने नोबल सोशियो-साइंटिफिक वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन (NSSWO) बनाई। इसके जरिए डीडीए लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत किफायती फ्लैट्स दिलाने का दावा किया। ये भी दावा किया कि सोसायटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए एल-जोन में जमीन खरीदने की प्रक्रिया में है। पीड़ित सोसायटी के मेंबर बन गए, जिन्होंने प्रस्तावित प्रोजेक्ट में फ्लैट्स बुक किए।

पीड़ितों ने मेंबरशिप फीस और फ्लैट की पेमंट कर दी। आरोपी समय-समय पर उन्हें प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने के अपडेट देता था, जो बाद में झूठा साबित हुआ। आरोपी 1 नवंबर 2015 को पीड़ितों को नजफगढ़ में एल-जोन जमीन का टुकड़ा दिखाने ले गया। लेकिन उसने जमीन खरीदने के कोई दस्तावेज नहीं दिखाए। पीड़ितों को अहसास हो गया कि आरोपी लैंड पूलिंग स्कीम के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर धोखा दे रहा है। आरोपी ने 2019 में ईमेल से दूसरी स्कीम लॉन्च करने की सूचना दी। सभी को जेएनयू स्थित अपने ऑफिस में बुलाया, जिसके लिए कोई गवर्निंग बॉडी की मीटिंग भी नहीं बुलाई।

आरोपी नागपुर यूनिवर्सिटी से है पोस्ट ग्रैजुएट

आरोपी पीडी गायकवाड महाराष्ट्र के नागपुर का रहने वाला है। नागपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी करने के बाद ये दिल्ली के जेएनयू में बतौर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जॉब करने लगा। इसने 2011 में NSSWO बनाई, जिसके जेएनयू के प्रफेसर और दूसरे सरकारी विभागों के कर्मचारियों के साथ मीटिंग करने लगा। हाउसिंग प्रोजेक्ट के सपने दिखा कर उन्हें मेंबर बनाया। इसके बाद पैसे इकट्ठा करना शुरू किया। इसने 2011 से 2021 तक 11 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जुटा ली। इस रकम को बैंक से कैश निकाल कर या दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिया।

नई दिल्ली, 28 दिसंबर, 2023 दैनिक जागरण

हरदीप सिंह पुरी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की मेट्रो से पहुंचे यशोभूमि

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की मेट्रो में सफर करते केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी • सौ.: (एक्स)

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी बुधवार शाम को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की मेट्रो से द्वारका सेक्टर-25 स्थित यशोभूमि में आयोजित डीडीए के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का विस्तार यशोभूमि तक किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी ने यशोभूमि के साथ-साथ इस नए मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया था।

पुरी ने शिवाजी मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मेट्रो से द्वारका सेक्टर-25 यशोभूमि मेट्रो स्टेशन पहुंचने में 20 मिनट लगे। मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद वह ई-रिक्शा से यशोभूमि पहुंचे।

उन्होंने पोस्ट में लिखा कि स्टेशन पर उतरने के बाद गंतव्य तक जाने के लिए ई-रिक्शा दिखी। रिक्शा जसबीर सिंह चला रहे थे। वह तुरंत यशोभूमि चलने को तैयार हो गए और कहा कि दो से तीन मिनट में गंतव्य तक पहुंचा देंगे और ऐसा हुआ भी। यशोभूमि पहुंच कर उन्होंने ई-रिक्शा चालक को एप के माध्यम से डिजिटल पेमेंट किया।

Hindustan Times

Man held for duping JNU, IIT profs of ₹11cr

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: A former employee of Jawaharlal Nehru University has been arrested for duping 13 professors at JNU and Indian Institute of Technology, Delhi of over ₹11 crore on the pretext of providing them with affordable housing, police officers aware of the matter said on Wednesday.

Police identified the suspect as PD Gaikwad, a resident of Gurugram, and said he defrauded his victims by claiming that the affordable housing he would provide them was part of a purported land pooling policy by the Delhi Development Authority (DDA). He was arrested on December 14, deputy commissioner of police (economic offences wing) Surendra Choudhary said.

Officers said that the victims approached police in late 2022 and a first information report (FIR) was registered in January this year. In their complaint, the victims alleged that Gaikwad, who worked as a scientific officer at the School of Environmental Sciences, JNU, in 2015 formed the Noble Socio-Scientific Welfare Organisation, claiming to provide affordable housing.

"It was revealed that he received over ₹11 crore in the account of the society from its members, however, the funds were either siphoned off through cash withdrawal or transferred to other accounts," the DCP said.

Chowdhary said e-mails sent by Gaikwad contained elements of DDA's land pooling policy.

JNU vice-chancellor Santishree Dhulipudi Pandit said, "Gaikwad had retired a few years ago, so I do not know him personally. However, the Delhi Police is looking into it and we support the action that they have taken as JNU does not stand for such unscrupulous activities."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, DECEMBER 28, 2023

ME OF NEWSPAPERS

JNU staffer held for ₹11cr housing fraud

Times News Network

According to police, the suspect, P D Gaikwad (63), allegedly collected the amount as advance but neither procured any land nor provided any alternative as promised

New Delhi: The Economic Offences Wing (EOW) of Delhi Police has arrested a senior technical assistant posted at Jawaharlal Nehru University for allegedly duping JNU and IIT-Delhi teachers of around Rs 11 crore on the pretext of providing them with affordable housing under the Delhi Development Authority's (DDA) land pooling policy.

According to police, the suspect, P D Gaikwad (63), allegedly collected the amount as advance but neither procured any land nor provided any alternative as promised.

DCP (EOW) Surendra Choudhary said an FIR was registered on the complaints of the teachers. "It was alleged that in 2015, the accused, who was working as a scientific officer at the School of Environmental Sciences, JNU, formed the Noble Socio-Scientific Welfare Organisation (NSSWO) claiming to provide affordable housing," the DCP said.

Accordingly, the complainants became members of NSSWO and booked units in the proposed project. They paid the membership fees and advance for their flats. Gaikwad apprised them of the "progress" from time to time, which they later realised were untrue.

On November 1, 2015, the suspect took them to show a piece of land in L zone, Najafgarh. However, he did not show any document supporting its purchase.

Over the years, the victims realised that he was cheating them from the beginning. "In 2019, Gaikwad informed the complainants by an email that he was going to launch a different society, Siddhartha Officers Housing & Social Welfare Society, through Government of NCT of Delhi, and as a member of NSSWO, the complainants could change their membership to the new society by visiting his office at JNU," the DCP added.

Since 2019, the complainants had been writing to Gaikwad to return their money, but did not receive any acknowledgement from him.

During investigation, DDA informed police that it had not issued any licence or granted any approval to any housing project under the land pooling policy in Dwarka or any other land pooling zone nor authorised any developer to offer any flat in its name under the policy.

"RERA (Delhi) also confirmed that the alleged society was not registered with it. A scrutiny of the bank account of the society reveals that the accused had received more than Rs 11 crore in it from the members, but the funds were either siphoned off through cash withdrawal or transferred to other accounts," the DCP said.

Finally, a team of ACP Hari Singh, inspector Kamal Kohli and ASI Pardeep traced the accused and arrested him. Gaikwad holds an MSc degree from Nagpur University.

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, गुरुवार, 28 दिसंबर 2023

लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर 11 करोड़ ठगे

- जेएनयू-आईआईटी के शिक्षक फंसाए
- वरिष्ठ पद पर तैनात आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। आर्थिक अपराध शाखा ने जेएनयू-आईआईटी के शिक्षकों से लैंड पूलिंग पालिसी के नाम पर 11 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है।

आरोपी ने सभी लोगों को सस्ता फ्लैट मुहैया कराने के नाम पर रुपये लिए थे, जबकि ऐसी कोई योजना डीडीए ने शुरू नहीं की थी। डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि पीड़ित शिक्षकों ने आर्थिक अपराध शाखा को शिकायत दी थी। इसके अनुसार आरोपी पीडी गायकवाड़ ने वर्ष 2015 में एक संस्था बनाई, जिसके बारे में बताया गया कि वह लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत एल जोन जमीन खरीदने के लिए बात कर रही है। संस्था इसके तहत सस्ते फ्लैट बनाएगी। इसका झांसा देकर गायकवाड़ ने सभी को संस्था का सदस्य बना दिया। इसके बाद जमीन खरीदने के नाम पर रुपये लेने शुरू कर दिए।

आरोपी ने 2019 में सभी को ई मेल से बताया कि वह दूसरी संस्था बना रहा है और वे लोग इसके सदस्य बन सकते हैं। लोगों ने शक होने पर जांच की तो पता चला कि यह संस्था न तो रेरा के तहत पंजीकृत है और न ही डीडीए ऐसी कोई योजना है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया।

हिन्दुस्तान

फ्लैटों के लिए लोन की जानकारी मिलेगी

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले लोग लोन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए डीडीए के कॉल सेंटर के नंबर 1800110332 पर कॉल कर करना होगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 28 दिसंबर, 2023 TED----------

11 करोड़ की ठगी में जेएनयू का पूर्व अधिकारी गिरफ्तार

पूर्व अधिकारी ने संस्था बनाकर डीडीए की लैंड पूलिंग पालिसी के नाम पर जेएनयू व आइआइटी के प्रोफेसरों को लगाया चूना

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली: डीडीए की लैंड पूलिंग पालिसी के नाम पर जेएनयू के स्कूल आफ एनवायरनमेंट के पूर्व साइंटिफिक अधिकारी ने लोगों से 11 करोड़ रुपये ठग लिए। ठग ने सस्ती दर पर फ्लैट देने का झांसा देकर जेएनयू और आइआइटी के प्रोफेसरों को चपत लगाई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपित को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान गुरुग्राम निवासी पीडी गायकवाड (63) के रूप में हुई है। आरोपित ने नोबेल सोशियो-साइंटिफिक वेलफेयर आर्गेनाइजेशन (NSSWO) बनाकर वारदात को अंजाम दिया।

जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि पीडी गायकवाड ने वर्ष 2011 में एक संस्था बनाई। वह जेएनयू और आइआइटी के प्रोफेसर्स के साथ बैठक करने लगा। डीडीए की लैंड पूलिंग पालिसी के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट के सपने दिखाकर उन्हें अपने संगठन का सदस्य बनाया। प्रोफेसर्स उसके झांसे में आए और फीस देकर संगठन के सदस्य बन गए। साथ ही फ्लैट की बुकिंग के लिए उसे रुपये भी दे दिए। वह पीड़ितों को वर्ष 2015 में नजफगढ़ में एल-जोन जमीन दिखाने भी ले गया, लेकिन उस जमीन के दस्तावेज नहीं दिखाए। पीड़ित भी उससे फ्लैट के बारे में जानकारी लेते, तो वह कोई न कोई बहाना बना देता। वर्ष 2019 में ई-मेल से दूसरी स्कीम लांच करते हुए पीड़ितों को जेएनयू स्थित अपने कार्यालय में बुलाया। आर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष वह खुद था और बैंक खाते में उसी के हस्ताक्षर चलते हैं। कई प्रोफेसर्स ने दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत की। डीडीए से पुलिस को मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि लैंड पूलिंग पालिसी के तहत किसी को अनुमति नहीं दी है। दिल्ली रेरा ने भी बताया कि आरोपित का संगठन उनके यहां पंजीकृत नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को दबोच लिया। जांच में पता चला कि 2011 से 2021 के बीच उसने 11 करोड़ रुपये ठगे हैं। उसने नागपुर विश्वविद्यालय से एमएससी करने के बाद जेएनयू में बतौर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट नौकरी शुरू की थी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 28 दिसंबर, 2023

डीडीए प्रीमियम हाउसिंग

जल्दी करें
आवेदन अभी भी खुला है
अभी तक लगभग
3000 पंजीकरण हो चुके हैं

नीलामी में भाग लेने के लिए
29 दिसंबर 2023 से पहले
EMD जमा करें

5 जनवरी 2024
से नीलामी शुरू

पेंटहाउस, सुपर एचआईजी, एचआईजी द्वारका सेक्टर–19 बी
एमआईजी द्वारका सेक्टर–14
एमआईजी लोकनायकपुरम

क्यूआर कोड स्कैन करें

अधिक जानकारी के लिए डायल करें
टोल फ्री नं. 1800110332
या **www.dda.gov.in** देखें

सभी नए, फ्रीहोल्ड फ्लैट | बहुमंजिला लिफ्टों से सुसज्जित | आवंटन नीलामी के माध्यम से
एसटीपी, पार्क, जल निकासी, खेल का मैदान | प्रत्येक फ्लैट के साथ निःशुल्क पार्किंग | दिल्ली में घर/प्लॉट
रखने वालों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं | ऑनलाइन आवेदन करें www.dda.gov.in के माध्यम से

दिल्ली विकास प्राधिकरण
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली-110023
हमें फॉलो करें: official_dda ddaofficial official_dda_ Official_dda

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times
नई दिल्ली, गुरुवार, 28 दिसंबर 2023

DDA Premium Housing

Hurry
Registration is still open
Approx 3000 Registrations have been Done

Submit your EMD
on or before 29th Dec. 2023 to participate in auction

Auction from 5th Jan 2024

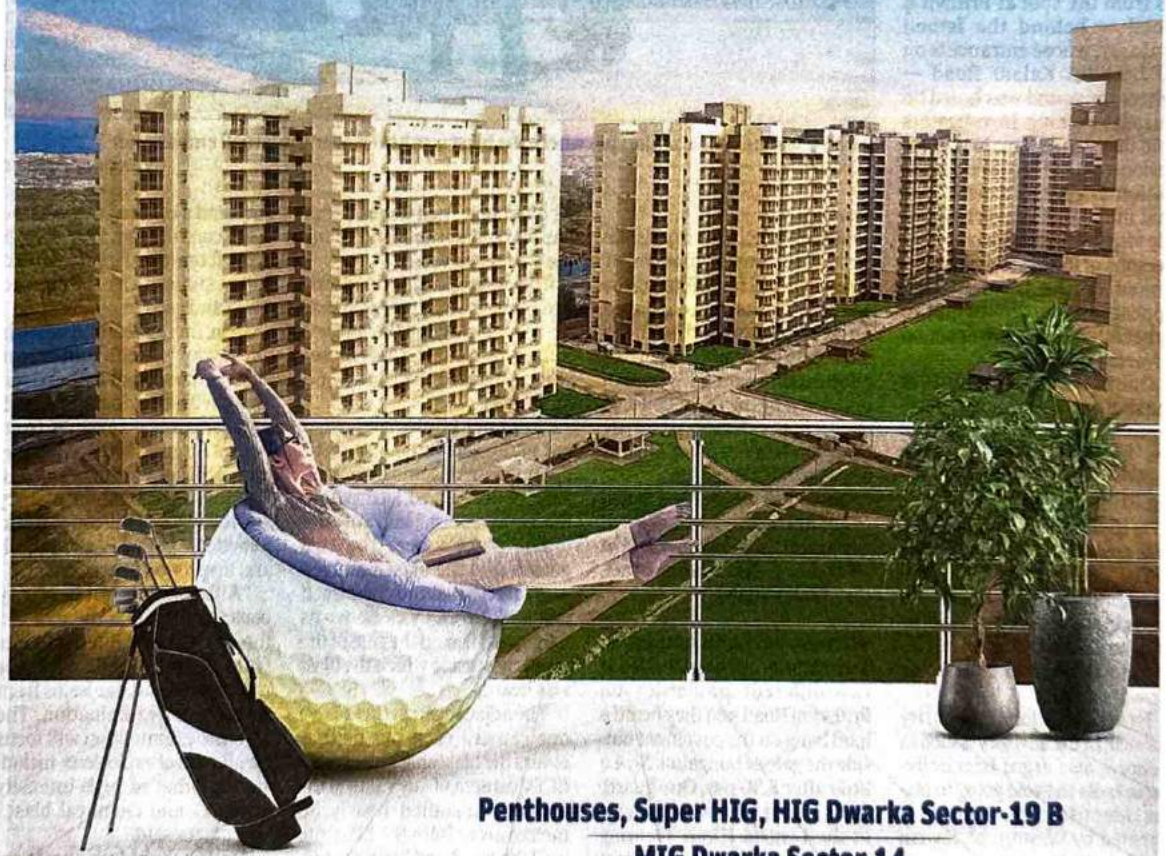

Penthouses, Super HIG, HIG Dwarka Sector-19 B
MIG Dwarka Sector-14
MIG Loknayakpuram

For information scan QR Code

For more details dial
Toll Free No. 1800110332
or visit website www.dda.gov.in

All New Freehold Flats| Multi-storeyed Equipped with lifts | Allotment through auction
STP, Park, Water Drainage, Playground| Designated parking free with each flat | No restriction for those who own house/plot in Delhi | Apply online through www.dda.gov.in

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
Ministry of Housing and Urban Affairs, Govt. of India, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023
Follow us on official_dda ddaofficial official_dda Official_dda

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer

NAME OF NEWSPAPERS---THURSDAY | DECEMBER 28, 2023

Former JNU staffer held for duping professors of ₹11 crore

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

A 63-year-old former JNU employee was arrested for allegedly duping professors of the varsity and IIT Delhi of more than Rs 11 crore on the pretext of providing affordable housing project under the guise of DDA's purported land-pooling policy, police said on Wednesday. The accused has been identified as P D Gaikwad, a resident of Gurugram in Haryana, they said. An FIR was registered on the complaints of these professors.

It was alleged that in 2015, Gaikwad, who was working as a scientific officer at the university's School of Environmental Sciences, formed the Noble Socio-Scientific Welfare Organisation (NSSWO) claiming to provide affordable housing, police said.

He allegedly made a presentation and lured them to become members of the organisation. In his capacity as the president of the organisation, Gaikwad provided them details of a proposed housing project under DDA's purported land-pooling policy for which he said the NSSWO was in the process of procuring land in the proposed L-Zone, a senior police officer said.

The complainants became members of the NSSWO and booked units in the proposed project. The complainants paid membership fees and payments for their flats, police said. On November 1, 2015, the accused took them to show a piece of land in the L-Zone, Najafgarh. However, he did not show any document supporting the purchase of the land. Over the years, they came to realise that he was allegedly cheating them, the officer said.

In 2019, Gaikwad allegedly told the complainants that he was going to launch a different society, Siddhartha Officers Housing and Social Welfare

Society, through the Delhi government and as members of the NSSWO, complainants could change their membership to the new society by visiting his office in JNU, police said.

Since 2019, the complainants were writing to Gaikwad to return their money. He has collected more than Rs 11 crore from them and misappropriated the same, police said. During investigation, complainants provided the materials/brochures and receipts issued by Gaikwad containing pictures of a housing project and depicting the said land-pooling policy, Deputy Commissioner of Police (EOW) Surendra Choudhary said.

Gaikwad had allegedly formed a society for cheating and became its president. E-mails sent by Gaikwad to the members on regular basis also contained the elements of inducement depicting the land-pooling policy of the DDA, Choudhary said.

However, during investigation, the DDA informed that it has not issued any license or granted any approval to any housing project under land-pooling policy in Dwarka or any other land-pooling zone nor authorised any developer/builder/society/ company, including the NSSWO, to offer any flat in the name of DDA under land-pooling policy, they said.

RERA (Delhi) has confirmed that the alleged society has neither registered itself with it nor applied for registration. It was revealed that Gaikwad allegedly received more than Rs 11 crore in the account of the society from its members, however, the funds were either siphoned off through cash withdrawal or transferred to other accounts, police said. The accused was arrested on December 14 from Delhi, Choudhary said.

As he was a permanent and senior official at JNU, they believed his words and became members of the society. Thereafter, he started collecting money from them in the name of purchasing the land for the project in the society's account, Choudhary said.

पंजाब केसरी

यशोभूमि में मनाया गया डीडीए का स्थापना दिवस

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से लगभग 20 मिनट की यात्रा करके द्वारका सेक्टर 26 पहुंचे। यहां से वे ई-रिक्शा में यात्रा करके आयोजन स्थल पहुंचे। हरदीप सिंह पुरी ने इस अनुभव को लाइफ टाइम अचीवमेंट बताया और अपने मोबाइल से ई-रिक्शा में यात्रा का भुगतान डिजिटल पैमेंट के माध्यम से किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरों सहित इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यशोभूमि में डीडीए के स्थापना दिवस में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस उत्सव और सामुदायिक भावना के दिन को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं। साथ ही उन्होंने डिजिटल और ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने वाले पीएम नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी प्रयासों से सभी आकार के उद्यमियों, विक्रेताओं और व्यवसायों को लाभ हो रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-------- THE HINDU बृहस्पतिवार, 28 दिसंबर 2023

Ex-JNU employee dupes academics of ₹11 cr.; arrested

NEW DELHI
A 63-year-old former Jawaharlal Nehru University employee has been arrested for duping professors of the university and IIT Delhi of more than ₹11 crore by promising them affordable homes in the national capital. » Page 2

Ex-JNU officer dupes varsity, IIT professors of ₹11 cr.; held

Accused promised affordable homes under DDA's Land Pooling Policy, collected booking amounts for dwelling units by convincing victims to join his 'fake' society, shifted money to other accounts

Samridhi Tewari
NEW DELHI

A 63-year-old former Jawaharlal Nehru University (JNU) employee was arrested for duping professors of the university and IIT Delhi of more than ₹11 crore by promising them affordable homes under the Land Pooling Policy (LPP) of the Delhi Development Authority (DDA), the police said on Wednesday.

The scheme allows landowners to pool in their land parcels, followed by roping in developers to execute housing projects, with the DDA acting as a facilitator for infrastructural developments, such as laying roads, sewage systems and other utilities. The policy aims to provide 17 lakh dwelling units for roughly 80 lakh people.

The scheme allows people to pool in their land parcels and developers to execute housing projects. FILE PHOTO

The police said P.D. Gaikwad, who worked as a scientific officer at the School of Environment Sciences, was arrested on December 14. He had in 2015 formed a fake society, they added.

Over a period of time, he convinced the professors that he was in the process of procuring land under the DDA scheme and asked them to become members of the society. The police said the accused collected money from them as a booking amount for the promised dwelling units.

"On November 1, 2015, he showed them a piece of land in L-Zone, Najafgarh. However, he did not show any document supporting the purchase of the land," DCP (EOW) Surendra Choudary said, adding that the accused also prepared brochures with pictures of the proposed project.

In 2019, he informed the complainants that he was going to launch a different society and asked them to join it by visiting his office in JNU. The police said that the complainants subsequently wrote to Mr. Gaikwad several times seeking the return of their money, but the accused did not offer any response.

The funds collected by Mr. Gaikwad were either siphoned off through cash withdrawals or transferred to other accounts, an officer said. The police said the DDA told them it had not issued any licence or granted any approval to the society run by the accused.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

28 दिसम्बर • 2023 राष्ट्रीय सहारा PAPERS---------- दैनिक भास्कर ---DATED----------

करोड़ों की धोखाधड़ी में जेएनयू का वरिष्ठ तकनीकी सहायक गिरफ्तार

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की लैंड पूलिंग नीति के तहत किफायती आवास उपलब्ध कराने के नाम पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) और आईआईटी-दिल्ली के कई प्रोफेसरों से 11 करोड़ रुपये की ठगी की गई। एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि धोखाधड़ी के सिलसिले में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ तकनीकी सहायक को गिरफ्तार किया गया है। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जेएनयू और आईआईटी-दिल्ली के प्रोफेसरों की शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद यह घोटाला सामने आया।

- डीडीए की लैंड पूलिंग नीति के तहत किफायती आवास उपलब्ध कराने के नाम पर धोखाधड़ी
- गायकवाड़ ने अपनी भूमिका में परियोजना की प्रगति पर दिया गलत अपडेट

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 2015 में आरोपी की पहचान पी.डी. गायकवाड़ के रूप में हुई, जो कि जेएनयू में एक वैज्ञानिक अधिकारी था और उसने किफायती आवास के लिए नोबल सामाजिक-वैज्ञानिक कल्याण संगठन (एनएसएसडब्ल्यूओ) का गठन किया। एनएसएसडब्ल्यूओ के अध्यक्ष के रूप में गायकवाड़ ने एल-जोन में डीडीए की लैंड पूलिंग नीति के तहत प्रस्तावित आवास परियोजना का विवरण पेश करते हुए उन्हें सदस्य बनने का लालच दिया। शिकायतकर्ता परियोजना में एनएसएसडब्ल्यूओ की बुकिंग इकाइयों में शामिल हुए और भुगतान किया। गायकवाड़ ने अपनी भूमिका में परियोजना की प्रगति पर गलत अपडेट दिया। 2015 में उसने उन्हें एल-जोन में बिना किसी सहायक दस्तावेज के जमीन का एक टुकड़ा दिखाया और समय के साथ, उन्हें एहसास हुआ कि उसने उन्हें धोखा दिया है।

2019 में गायकवाड़ ने उन्हें एनएसएसडब्ल्यूओ से स्विच करने का सुझाव देते हुए एक नई सोसायटी सिद्धार्थ ऑफिसर्स हाउसिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानकारी दी। उनके पैसे वापस करने के अनुरोध अनुत्तरित रहे और गायकवाड़ ने धन का दुरुपयोग करते हुए 11 करोड़ से अधिक एकत्र किए। ईओडब्ल्यू के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने कहा, जांच के दौरान, शिकायतकर्ताओं ने गायकवाड़ से मटेरियल, ब्रोशर और रसीदें प्रदान की। जांच में डीडीए की लैंड पूलिंग नीति को दर्शाने वाले ईमेल में प्रलोभनों के साथ-साथ आवास परियोजना की भ्रामक तस्वीरें और प्रस्तुतियां सामने आईं।

डीसीपी ने आगे कहा कि डीडीए ने पुष्टि की कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कोई मंजूरी नहीं थी। रेरा (दिल्ली) ने कहा कि कथित सोसायटी अपंजीकृत थी और गायकवाड़ को सोसायटी के खाते में 11 करोड़ से अधिक प्राप्त हुए, लेकिन धन का दुरुपयोग किया गया। डीसीपी ने आगे कहा कि जब गायकवाड़ को नोटिस दिया गया तो शुरू में उनसे संपर्क नहीं हो सका। हालांकि, प्रयासों के बाद उन्हें मामले के सिलसिले में 14 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया।

35 प्रोफेसरों से 11 करोड़ की ठगी के आरोप में जेएनयू का पूर्व अधिकारी गिरफ्तार

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

जेएनयू के एक पूर्व वैज्ञानिक अधिकारी (सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट) को 35 प्रोफेसर से 11 करोड़ की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहचान गुरुग्राम निवासी पीडी गायकवाड़ (63) के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक, जेएनयू और आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसरों ने अपने साथ ठगी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी ने नोबल सोशियो साइंटिफिक वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन नामक संगठन बनाकर खुद को उसका अध्यक्ष बताया था। बाद में पीड़ितों को उससे जोड़ा। आरोपी ने दावा किया था उनका संगठन लैंड पूलिंग नीति के तहत एल-जोन, नजफगढ़ में भूमि खरीदने की प्रक्रिया में है। बाद में पीड़ितों को पता चला कि डीडीए ने इस तरह की किसी लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी नहीं दी है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com
बृहस्पतिवार, 28 दिसंबर 2023
millenniumpost NAME OF NEWSPAPERS------ -------DATED----------

35 प्रोफेसरों से 11 करोड़ रुपये की ठगी में जेएनयू का पूर्व अधिकारी गिरफ्तार

हाउसिंग सोसायटी में कम दाम पर मकान देने के नाम पर फर्जीवाड़ा

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) व आईआईटी-दिल्ली के 35 प्रोफेसरों से 11 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में जेएनयू के एक पूर्व अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रामप्रस्थ सिटी, गुरुग्राम निवासी पीडी गायकवाड (63) ने एक हाउसिंग सोसायटी के नाम पर प्रोफेसरों को कम कीमत में बेहतर मकान दिलाने का झांसा दिया था।

गायकवाड ने नोबल सोशियो साइंटिफिक वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन नामक संगठन बनाकर डीडीए की लैंड पूलिंग नीति के तहत जमीन लेने की बात की। उसने दावा किया कि उसका संगठन एल-जोन, नजफगढ़ में भूमि खरीदने की प्रक्रिया में है। पीड़ितों का विश्वास जीतकर आरोपी वर्ष 2011 से 2021 के बीच रकम ऐंठता रहा। जब पता चला कि डीडीए ने ऐसी किसी परियोजना की मंजूरी नहीं दी है, तो पुलिस में शिकायत की गई। जांच के बाद केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो

>> विश्वास कर बुक कराए आवास : पेज 6

पिछले साल खुला मामला

आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि 2022 में 13 प्रोफेसरों ने जेएनयू के स्कूल ऑफ एन्वायरमेंटल साइंसेज में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट गायकवाड के खिलाफ ठगी की शिकायत की। इसकी जांच के बाद पूरा मामला खुला।

फर्जीवाड़े के शिकार प्रोफेसरों ने विश्वास कर बुक कराए आवास

35 प्रोफेसरों से करोड़ों की ठगी का मामला

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। 35 प्रोफेसरों से करोड़ों की ठगी मामले के आरोपी व जेएनयू के पूर्व अधिकारी पीडी गायकवाड ने पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए उनको आकर्षक ब्रोशर-पैंफलेट दिखाए, चूंकि पीडी गायकवाड एक सरकारी पद पर तैनात थे, इस वजह से प्रोफेसर ने उसकी योजना पर यकीन कर संगठन की सदस्यता लेकर रकम निवेश कर दी। आरोपी ने धीरे-धीरे 35 प्रोफेसरों से करीब 11 करोड़ की रकम ऐंठ ली।

बाद में पीड़ितों को पता चला कि डीडीयू ने इस तरह की किसी लैंड पुलिंग नीति को मंजूरी नहीं दी है। इस बीच वर्ष 2019 में आरोपी ने पीड़ितों को एक ईमेल भेजकर बताया कि दिल्ली सरकार के माध्यम से सिद्धार्थ ऑफिसर्स हाउसिंग एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी के नाम से एक अलग सोसायटी लॉन्च की जा रही है।

इसके लिए एनएसएसडब्ल्यूओ के सदस्य पीडी गायकवाड के जेएनयू स्थित कार्यालय में आकर अपनी सदस्यता बदल सकते हैं। बाद में सभी सदस्यों ने इसके लिए इंकार कर दिया और वह अपने रुपये वापस मांगने लगे। आरोपी ने न कोई रकम लौटाई और न ही उसने कोई मकान ही उपलब्ध करवाया।

इस तरह पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी

वर्ष 2022 में शिकायत मिलने के बाद छानबीन के लिए एसीपी हरि सिंह, इंस्पेक्टर कमल कोहली, एएसआई प्रदीप व अन्य की टीम का गठन किया गया। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को पीडी गायकवाड द्वारा उपलब्ध किराए गए ब्रोशर-पैंफलेट, पैसों की रसीद व दूसरे दस्तावेज उपलब्ध करवाए। इसके अलावा ईमेल की कॉपी भी उपलब्ध कराई गई। आरोपी ने एनएसएसडब्ल्यूओ की एक वेबसाइट भी बनवाई। हाउसिंग स्कीम के लिए आरोपी ने कई प्रजेंटेशन देकर प्रोफेसरों को अपने जाल में फंसाया। जांच के दौरान पुलिस की टीम ने डीडीए से भी हाउसिंग स्कीम के बारे में पूछा। डीडीए के इंकार के बाद आरोपी की तलाश शुरू की। लेकिन वह अपने घर से गायब मिला। काफी मशक्कत के बाद टीम ने आरोपी को 14 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ठगी की रकम बरामद करने का प्रयास कर रही है। आरोपी ने ठगी की रकम को या तो दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिया या एटीएम से कैश निकाल लिया।

63-yr-old ex-JNU employee held for duping professors of over Rs 11 crore

NEW DELHI: A 63-year-old former JNU employee was arrested for allegedly duping professors of the varsity and IIT Delhi of more than Rs 11 crore on the pretext of providing affordable housing project under the guise of DDA's purported land-pooling policy, police said on Wednesday.

The accused has been identified as P D Gaikwad, a resident of Gurugram in Haryana, they said.

An FIR was registered on the complaints of these professors.

It was alleged that in 2015, Gaikwad, who was working as a scientific officer at the university's School of Environmental Sciences, formed the Noble Socio-Scientific Welfare Organisation (NSSWO) claiming to provide affordable housing, police said.

He allegedly made a presentation and lured them to become members of the organisation. In his capacity as the president of the organisation, Gaikwad provided them details of a proposed housing project under DDA's purported land-pooling policy for which he said the NSSWO was in the process of procuring land in the proposed L-Zone, a senior police officer said.

The complainants became members of the NSSWO and booked units in the proposed project. The complainants paid membership fees and payments for their flats, police said. MPOST